प्र.सं. .... / वावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/4/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी साहब कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर हैं। अतः पत्रावली आग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.6.25 को पेश हो [signature]	
30/4/25	पत्रावली आज शीघ्र सुनवाई बाबत प्रा०पत्र पेश करने पर पेश हुई। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित शीघ्र सुनवाई के प्रा०पत्र पर अनापति व्यक्त की एवं अप्रार्थी स.। की ओर से प्रा०पत्र एक पक्षीय कार्यवाही दि. 30/8/2024 को निरस्त किये जाने बाबत पेश किया। वकील प्रार्थी ने No Objection करने पर प्रा०पत्र प्रार्थी/अप्रार्थी स.। स्वीकार किया गया। प्रा०पत्र एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने बाबत स्वीकार होने पर जरिये अभिभाषक पंकज पांचाल जवाब प्रा०पत्र पेश किया गया। IRR रिपोर्ट प्राप्त होने पर जवाब पेशकार सरकार पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दि. 13/5/2025 को पेश हो। [signature]	[signatures]
13/5/25	पक्षकार उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 20/5/25 को पेश हो। [signature]	
20/5/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस उभय पक्ष सुनी जाकर निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। प्रा०पत्र प्रार्थी प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को अन्तर्गत धारा 131 LR Act में निहित प्रावधानों के आधार पर प्रमाणित करने एवं तहसीलदार तालेड़ा द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर की गई तरमीम को त्रुटि पूर्ण साबित करने में असफल होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मि0 नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
214/प्रा.पत्र/2024	08.07.2024	20.05.2025

विमला बाई उम्र वयस्क पत्नी श्री शिवराज जाति जाट निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ।

–प्रार्थीया

बनाम

1. भूली बाई पत्नी श्री हिरालाल जाति लुहार निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
2. मोतीलाल पुत्र श्री हिरालाल जाति लुहार निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
3. रामराज पुत्र श्री हिरालाल जाति लुहार निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
4. श्यामबिहारी पुत्र श्री हिरालाल जाति लुहार निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
5. विष्णुभगवान पुत्र श्री हिरालाल जाति लुहार निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी :– श्री हर्षद दुबे , श्री पंकज पांचाल

व पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 एल आर एक्ट

प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने बाबत्

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं 19 रकबा 1.2221 हैक्टेयर वाके ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है जिसके दो टूकडे किये जाकर नये नम्बर 524/19 तथा 523/19 कायम हुये। खसरा सं 524/19 अप्रार्थी भूली बाई के नाम दर्ज हुआ जो कि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 से प्रमाणित है। इसी प्रकार खसरा स. 523/19 अप्रार्थी स. 2 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शा तरमीम नही हुआ राजस्व नक्शा लट्ठा में खसरा सं 19 बीन्म तरमीम किये हुये आज भी यथावत् है। इसी दौरान अप्रार्थी सं 1 ने दिनांक 08.01.12022 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने हिस्से की भूमि खसरा सं 524/19 रकबा 0.6070 हैक्टेयर मे से उत्तर दिशा की ओर 0.4330 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया को बेचान कर दी। बेचान के पश्चात खसरा सं. 524/19 के नये नम्बर 1141/524 जो कि प्रार्थीया की खातेदारी में है तथा 1142/524 जो कि अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी मे कायम हुये। इस प्रकार पूर्व खसरा सं 19 के वर्तमान में तीन नये नम्बर कायम हुये जो इस प्रकार है खसरा सं 1142/524 जो कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है खसरा सं 523/19 जो कि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 के नाम दर्ज है खसरा सं. 1141/524 जो प्रार्थीया के नाम दर्ज है। वर्तमान ऑनलाईन नक्शे के अनुसार प्रार्थीया खसरा सं. 523/19 के उत्तरी दिशा मे काबिज काश्त है तहसीलदार तालेडा के द्वारा बिना माप व सीमांकन के प्रार्थीया व अप्रार्थीगण को नोटिस दिये बगैर तथा प्रार्थीया तथा अप्रार्थीगण को सुने बगैर अवैधानिक रूप से प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा सं. का नक्शा मौका स्थिति के अनुसार तरमीम नही किया गया जिससे राजस्व नक्शा तथा पक्षकारो की वर्तमान मौके पर काबिज काश्त की स्थिति में परिवर्तन आ गया अर्थात प्रार्थीया व अप्रार्थीगण वर्तमान ऑनलाईन राजस्व नक्शे के अनुसार धरातल पर काबिज काश्त नही है जिससे कि प्रार्थीया को अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है प्रार्थीया जहां पर काबिज काश्त है वह भूमि अर्थात् खसरा सं. 523/19 वर्तमान मे अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 के नाम राजस्व नक्शे मे तरमीम हो रही है तथा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 जिस स्थान पर काबिज है वह भूमि अर्थात खसरा सं. 1141/524 वर्तमान में प्रार्थीया के नाम राजस्व नक्शे में तरमीम हो रही है। जिस कारण प्रार्थीया अपनी भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिये ना तो खाद बीज डाल पा रही है और ना ही भूमि का विकास कर पा रही है। प्रार्थीया की भूमि का गलत तरीके से तरमीम किये जाने से प्रार्थीया अपनी भूमि का विकास करने मे अनेक समस्यों का सामना करना पड़ रहा है तथा तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थीया के विधिक अधिकारो की क्षति पहुचाई है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से पूर्व खसरा सं. 19 के वर्तमान ऑनलाईन नक्शा तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके पर

Scanned with OKEN Scanner

काबिज काश्त अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जाये इसके लिए तहसीलदार तालेड़ा के आदेशित किया जावे। जब प्रार्थीया ने तहसीलदार तालेडा को प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का राजस्व नक्शे मे गलत तरमीम किये जाने के बारे में अवगत कराया तो तहसीलदार तालेडा के द्वारा संतोषजनक जवाब नही दिया गया तथा राजस्व नक्शा सुधार करने से इनकार कर दिया तब वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा संख्या 524/19, खसरा संख्या 1141/524, खसरा संख्या 1142/524 वाके ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है के राजस्व नक्शे को निरस्त कर खातेदारो की वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार उपरोक्त भूमि के राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध जारी करने की कृपा करे। अन्य न्योयाचित सहायता जो उपलब्ध हो प्रार्थीया को प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया गया । अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 द्वारा जर्ये अभिभाषक इकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित करने की कृपा करे।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 3504 दिनांक 30.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम तालेडा की आराजी ख0सं0 19 की ऑनलाईन तरमीम करते समय ख0सं0 522/19 की तरमीम आराजी ख0सं0 21 गै0मु0 रास्ते के समीप , ख0सं0 523/19 एवं ख0सं0 524/19 के खातेदार एक ही परिवार के सदस्य होने से आराजी ख0सं0 523/19 की तरमीम आराजी ख0सं0 18 के समीप तथा ख0सं0 524/14 के लगवा की गई थी जिसका नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया गया। प्रार्थिया विमला पत्नि शिवराज जाति जाट द्वारा दिनांक 11.1.2022 को ,खातेदार भूलीबाई पत्नि हीरालाल लुहार से आराजी ख0सं0 524/19 में से उत्तर दिशा की 0.4330 हैक्टे0 भूमि क्रय किये जाने से मुताबिक विक्रय पत्र के उत्तरी दिशा में 0.6070 हैक्टे0 में से 0.4330 हैक्टे0 भूमि की ऑनलाईन तरमीम करवा दी गई। मौके पर क्रेता का आराजी ख0सं0 524/19 की उत्तरी दिशा पर कब्जा काश्त नही होकर आराजी ख0सं0 523/19 की उत्तरी दिशा पर कब्जा काश्त है तथा आराजी ख0सं0 523/19 के काश्तकारो का आराजी ख0सं0 524/19 पर कब्जा काश्त होना पाया गया। विक्रय के पश्चात वर्तमान नजरी नक्शा रिपोर्ट पर अंकित किया गया।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार तालेडा ख0सं0 524/19 की तरमीम पूर्व मे ख0सं0 924/14 के समीपवर्ती थी। ख0सं0 524/19 में से 1141/524 ख0सं0 क्रेता विमला बाई से क्रय किया था। मुताबिक विक्रय पत्र ख0सं0 1141/524 की तरमीम सही की गई थी। तत्समय भूलीबाई द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 297 संवत 2076 वाके ग्राम तालेडा , नकल जमाबन्दी खाता सं0 406 संवत 2076 वाके ग्राम तालेडा, नकल जमाबन्दी खाता सं0 226 संवत 2073–76 वाके ग्राम तालेडा , नकल जमाबन्दी खाता सं0 201 संवत 2076 वाके ग्राम तालेडा, नक्शा ट्रेस की छायाप्रति पी–35 , छायाप्रति विक्रय पत्र विमलाबाई दिनांक 11.1.2022, आधार कार्ड विमलाबाई की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा संख्या 524/19, खसरा संख्या 1141/524, खसरा संख्या 1142/524 वाके ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है के राजस्व नक्शे को निरस्त कर खातेदारो की वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार उपरोक्त भूमि के राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध जारी करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार प्रार्थिया कयशुदा भूमि के स्थान पर जहाँ काबिज कास्त है वहाँ तरमीम करवाना चाहती है जबकि तहसीलदार तालेडा द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11.1.2022 के आधार पर सही तरमीम की गई है जिसे नियमानुसार कब्जे कास्त के आधार पर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 297 संवत 2076 वाके ग्राम तालेडा , नकल जमाबन्दी खाता सं0 406 संवत 2076 वाके ग्राम तालेडा, नकल जमाबन्दी खाता सं0 226 संवत 2073–76 वाके ग्राम तालेडा , नकल जमाबन्दी खाता सं0 201 संवत 2076 वाके ग्राम तालेडा,

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा ट्रेस की छायाप्रति पी–35 , छायाप्रति विक्रय पत्र विमलाबाई दिनांक 11.1.2022, आधार कार्ड विमलाबाई का अवलोकन किया गया । प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 11.1.2022 के पृष्ट सं0 2 के पेरा 2 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रार्थिया ने 524/19 रकबा 0.6070 हैक्टे. में से रकबा 0.4330 हैक्टे. (उत्तर दिशा की) क्रय की है और उसी के आधार पर तहसीलदार तालेडा द्वारा नक्शा तरमीम किया जाना तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। प्रार्थिया यदि क्रयशुदा भूमि स्थान पर अन्यत्र काबिज काश्त है तो वह अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त होने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। अन्तर्गत धारा 131 एलआर एक्ट में इस प्रकार कब्जा काश्त के आधार पर तरमीम परिवर्तन का कोई प्रावधान निहित नही होने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अन्तर्गत धारा 131 एलआरएक्ट में निहित प्रावधानो के आधार पर प्रमाणित करने एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा विक्रय पत्र के आधार की गई तरमीम को त्रुटि पूर्ण साबित करने में असफल होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner